



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032023-244655
CG-DL-E-24032023-244655

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1363]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/चैत्र 3, 1945

No. 1363]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/CHAITRA 3, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2023

का.आ. 1416(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोण्डागांव NH-130D के कि.मी 0.000 से कि.मी 21.000 छत्तीसगढ़ राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH130D के कि.मी 0.000 से कि.मी 21.000 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम
1	2	3	4	5
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	राष्ट्रीय राजमार्ग	छत्तीसगढ़	कोण्डागांव

	एवं भू-अर्जन अधिकारी कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ.ग.) (	संख्या NH130D के कि.मी. 0 से 21 तक		
--	--	--	--	--

[फा. सं. RO/NH/CG/LA/2022-23]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2023

S.O. 1416(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 0.000 to 21.000 of Sub Divisional Officer(Revenue) kondagaon NH-130D in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of NH-130D in the State of on the stretch from km. 0.000 to km. 21.000 for Widening

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Land Aquisition Officer and SDO (Revenue)kondagaon District Kondagaon (C.G)	0KM To 21KM	CHHATTISGARH	KONDAGAON	Kondagaon	1 Kondagaon

[F. No. RO/NH/CG/LA/2022-23]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.